



2026:AHC: 33870-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29891/2025**

शिवा एवं 3 अन्य याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेन्द्र कुमार मिश्रा, शालिनी त्रिपाठी, श्रीमती मांडवी मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया है कि वर्तमान मामले में विवेचना पहले ही पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध आरोप पत्र (चार्जशीट) भी प्रस्तुत किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कहा कि वे इस रिट याचिका पर बल देना नहीं चाहते हैं और उचित स्तर पर उचित मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

16 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"